

सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन् के दर्शन का राजनीतिक पहलू

पूनम दत्ता

वरिष्ठ व्याख्याता, राजनीति विज्ञान,
राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़, जिला – श्रीगंगानगर (राज.)

डॉ. संजीव कुमार बंसल

वरिष्ठ व्याख्याता, ए.बी.एस.टी. (वाणिज्य)
श्रीमती नर्बदा देवी बिहाणी राजकीय महाविद्यालय, नोहर, जिला – हनुमानगढ़ (राज.)

सारांश

वर्तमान समय में विश्व की महाशक्तियाँ आणविक-परमाणु हथियारों के जखीरे पर शक्ति सम्पन्नता को अत्यधिक महत्त्व दे रही है। नित नये जटिल राजनीतिक दांवपेंच से अपना प्रभाव बना रहे हैं। नैतिकता, धर्म जैसे अच्छे विचारों के मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, इनका जैसे कोई स्थान ही नहीं रह गया है। ऐसी विषम स्थिति में हमारे दिव्य महापुरुष सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन् के राजनीतिक दर्शन की प्रासंगिकता अधिक बढ़ जाती है, यदि उनके दर्शन व मूल्यवान विचारों का समस्त विश्व अनुगामी हो जाए तो समूची मानव-जाति शान्तिमय स्वच्छंद वातावरण में श्वास ले सकेगी।

मूल शब्द : राजनीति, हिन्दू धर्म ग्रंथ, लोकतंत्र, स्वतंत्रता समानता, व्यवस्था, मताधिकार, शासन तंत्र।

दिव्य महापुरुषों की ख्याति को किसी एक युग या काल में बांधा नहीं जा सकता, ये तो युगों-युगों तक समाज में मानव सभ्यता के मार्ग को आलोकित करते रहे हैं, इन महापुरुषों का जनहितकारी चिन्तन ही समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का संकल्प होता है तथा आमजन में जीवन के नैतिक मूल्यों का संचार करना ही मुख्य लक्ष्य होता है। ऐसे ही हमारी भारतीय धरा पर दिव्य महापुरुष, प्रमुख भारतीय, मानवतावादी दार्शनिक है— सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन्। इन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता, गहन अध्ययन एवं व्यापक विचार शैली से भारतीय संस्कृति को एक सम्बल, एक आयाम दिया तथा दार्शनिक विचारों से भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में नैतिकता व आध्यात्मिकता से जोड़कर भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित किया।

डॉ. राधाकृष्णन् के राजनीतिक दर्शन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करते हुए इन्होंने विभिन्न अवसरों पर अपने व्याख्यान दिए, जिसमें उनके राजनीतिक विचारों के दर्शन होते हैं, उनकी राजनीतिक निष्पक्षता से यह आभास होता है कि दल विशेष से उनकी विचारधारा प्रभावित नहीं थी। राजनीति में वयस्क मताधिकार व मतदाताओं की शैक्षणिक योग्यता के प्रबल समर्थक थे तथा इस बात में विश्वास करते थे कि लोकतंत्र जनता के विचार अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम तरीका है साथ ही शासन तंत्र में परिवर्तन का शांतिपूर्ण हल।

डॉ. राधाकृष्णन् का मानना है कि लोकतंत्र एक धर्म है शासन की नैतिक धारण है जो समाज को उन्नतिशील बनाने का प्रयत्न करती है, साथ ही जीवन यापन की एक गतिशील पद्धति भी है। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व लोकतंत्र के आदर्श हैं लेकिन इन्हें कायम रखने हेतु न सिर्फ व्यक्ति बल्कि समूचे समाज को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है तभी लांकतांत्रिक समाज में मर्यादित व अनुशासित शासन की स्थापना होती है। लोकतंत्र के द्वारा नैतिकता, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता आदि विशेषताएं जनमानस में होती हैं। अतः इसी कारण महान् शिक्षाविद् ने इसे धर्म माना है। साथ ही लोकतंत्र के सामने जो भाषायी झगड़े, प्रांतीय, ईष्याएँ, घरेलू लड़ाइयाँ आदि की जो समस्याएँ है वो समाधान की उम्मीद लिए खड़ी है, हमारा प्राचीन धर्म यहां खोखला सा हो गया है। लोकतंत्र एक ऐसा धर्म है जो इन समस्याओं का हल संयम व सहमति से चाहता है।

डॉ. राधाकृष्णन् का मानना है कि मानवीय इतिहास की समस्त प्रगति के लिए सम्मान एवम् विकास, जो कि लोकतंत्र की मांग भी है, प्रजा के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की एक प्रणाली भी है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जो ऊर्जा हमने खर्च की, वो अब ऊर्जा मुक्त राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के पश्चात् तो अब आवश्यकता उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप में काम में लेने की है।

लोकतांत्रिक समाज में निर्धनों के लिए धनवानों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह करना होगा, साथ ही विकसित राष्ट्रों को पिछड़े राष्ट्रों की सहायता करनी पड़ेगी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी उपलब्धियों को लोगों ने खुशी व गौरव से स्वीकार किया किन्तु वास्तविकता यह है कि हमें भय भी रहता है, इसका कारण यह है कि युद्ध के भयावह वातावरण में हम इन कृत्रिम उपग्रहों को सैनिक दृष्टि से देखते हैं। प्रजातंत्र शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात का समर्थन करता है, अपेक्षा करता है। डॉ. राधाकृष्णन् संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनका कहना था कि हमें अधिकार कानून द्वारा प्राप्त हुए हैं, उनके साथ ही अर्थात् प्रदत्त अधिकारों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कल्पना का समर्थन करना होगा तभी वह आक्रमणों से हमारी रक्षा कर सकेगा, अपने निर्णय मनाने और लागू करने को बाध्य कर सकें, समुचित न्याय द्वारा राष्ट्रों के बीच होने वाले विवादों का हल खोजा जा सके। आज विश्व की जो स्थिति है उसके लिए कोई कमजोर राष्ट्र उत्तरदायी नहीं है बल्कि महाशक्तियों का राजनीतिक नेता ही मानव जाति के संहार का सूचक है, उन्हें अपनी नीतियों का फिर से निर्माण करना होगा और आणविक परीक्षणों पर रोक लगाकर निःशस्त्रीकरण हेतु कठोर कदम उठाने होंगे। मानव प्रगति को प्रोत्साहित की आस्था मानव की आत्मभावना में होनी चाहिए।

संसदीय लोकतंत्र पर राधाकृष्णन् के विचार हैं कि लोकतंत्र जनता के विचार को निर्धारित और व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन प्रतीत होता है। संसदीय लोकतंत्र सरकार को बदलने का शांतिपूर्ण तरीका अपनाता है। बार-बार जो चुनाव किए जाते हैं उनमें यह सूचित होता है कि जनता का अपने प्रतिनिधियों को हटाने की शक्ति प्राप्त है। शिक्षित मतदाता ही मतदान का अधिकार, राष्ट्रीय प्रयोजन और कर्तव्य को समक्ष सकते हैं, अपने मत का प्रयोग सार्वजनिक हित के लिए कर सकेंगे न कि स्वार्थ में।

25 फरवरी, 1956 को दिए गए भाषण में डॉ. राधाकृष्णन् ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र को ही सरकार बदलने का शांतिपूर्ण हल बताया उन्होंने मतदाता के शिक्षित होने पर जोर दिया। भीड़ तंत्र व तानाशाही राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र को ही उन्होंने लोक कल्याणकारी माना है। संसद को एक ऐसी कड़ी माना जो सरकार और जनता को जोड़ने का कार्य करती है। डॉ. राधाकृष्णन् का मानना था कि संसदीय सरकार हेतु चुनाव के साथ ही चुनावी सावधानियाँ एवम् विचारों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। वे विपक्ष की भूमिका को भी महत्वपूर्ण मानते थे, एक स्वस्थ लोकतंत्र में विरोधी दल हमेशा विद्यमान रहता है उनकी संख्या भले ही अल्प हो, लेकिन उनमें राजनीतिक विवेक होता है, विरोध करने का सामर्थ्य होता है, लेकिन विरोध को दबाने के तानाशाही तरीके लोकतंत्र के लिए घातक होते हैं।

संसदीय लोकतंत्र शक्तियों का विकेन्द्रीकरण है, अर्थात् शक्ति का वितरण। स्वतंत्र न्यायालय, लेखा परीक्षण प्रणाली, लोक सेवा आयोग में सभी निकाय सरकार के निरंकुश और अन्यायपूर्ण कार्यों को रोकते हैं। साथ ही आवश्यकता इस बात की भी है कि इन संस्थाओं को प्रशासकीय हस्तक्षेप व राजनीतिक दबाव से बचाया जाए। डॉ. राधाकृष्णन् के अनुसार— “कानून बनाना अलग बात है और सामाजिक ढांचे को बदलना अलग बात। गरीब, भूखे, बेरोजगार आदि के लिए हमारे संविधान या उसके कानूनों का कोई मूल्य नहीं, जब तक हम अपने नागरिकों को गरीबी, भूख, बीमारी और अज्ञान से मुक्त नहीं करते, तब तक हमारा लोकतंत्र नाम भर का रहेगा।”

कुछ ऐसी शक्तियाँ जो लोकतंत्र का विरोध कर रही हैं, धर्म राजनीति में घुस गया है। आज के नवयुवकों को वर्गकृत व सम्प्रदायकृत विद्वेष से पोषित वातावरण मिल रहा है, जिससे संकीर्णता, प्रान्तीयता बढ़ रही है लेकिन सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित होगा, जब देश साम्प्रदायिक व वर्ग की गुलामी से मुक्त होगा। हमें आज के युवकों को लोकतन्त्रात्मक राज्य के नागरिक बनाना है, फासिस्ट या नाजी नहीं।

आज राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जो विकराल रूप ले रही है, जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे जीवन मूल्यों का प्रश्न जुड़ गया है। राष्ट्रीय भावना अर्थात् जिस देश में हम रहते हैं उसकी धरती के प्रति हमारा प्रेम, हमारी आस्था तथा उसकी रक्षा हेतु प्रयत्नशीलता यह सभी मूल्य हम अपनी विरासत में पाते हैं। हम अतीत का स्मरण कर वर्तमान के प्रति सचेत रहते तथा भावी योजनाएँ बनाते हैं, कर्म करते हैं।

भारत की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि नदियों, सागरों, पर्वतों, बांध आदि से घिरा हुआ है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में सागर से घिरे इस क्षेत्रफल में विविध धर्मावलम्बी लोग निवास करते हैं, विभिन्न स्रोतों एवं उद्गमों से आए हुए जनसैलाब भारत आया और अपनी संस्कृति से भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। ब्रिटिश प्रभुत्व ने समस्त भारत को शासकीय एकता प्रदान की, आज हमारा प्रजातंत्र कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से आसाम तक फैला हुआ है।

डॉ. राधाकृष्णन् का यह भी मानना है कि हमारा भारत देश विभिन्न जातियों तथा संस्कृतियों का संगम स्थल है, इतिहास गवाह है कि भारत आदि काल से ही विभिन्नता में एकता का गुण लिए हुए है और युगों से सर्वधर्म समन्वय के सिद्धान्त पर जोर देते रहे हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है

अर्थात् यहां सभी धर्मों को सुरक्षा व सम्मान प्राप्त है। यह तब तक होगा जब तक उनके अनुयायी किसी के नैतिक अन्तःकरण पर आघात नहीं करें तथा इनके आचरण से देश की एकता क्षतिग्रस्त न हो। धर्म निरपेक्षता धार्मिक प्रतिद्वंद्विताओं को समाप्त करने का प्रयास करती है, हमारा सर्वोच्च विधिक निकाय हमारा संविधान सभी को उपासना की स्वतंत्रता देता है। साथ ही निर्वाचन की व कानून की भी व्यवस्था मौजूद है।

डॉ. राधाकृष्णन् इस दार्शनिक विचार से भी सहमत थे कि हम अपने देश का निर्माण ईंट और गारे, छैनी व हथौड़ी से नहीं कर सकते बल्कि हमारे देशवासियों के मस्तिष्क और हृदयों में भाव विकसित होने चाहिए। स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थाओं में युवकों का राष्ट्रीय जीवन चरित्र मूल्यवान बनाना होगा, शिक्षा मात्र सूचनाओं का ज्ञान न होकर मनोवेगों का प्रशिक्षण होना चाहिए। हमारी पाठ्य पुस्तकें युवाओं के मानस को विकसित करें। संस्कृति के विविध आयामों से रू-ब-रू करवाएं, एक ऐसी ऊर्जा का संचार कराएं जो देश की अनेकता में एकता की भावना पोषित करे। सांस्कृतिक संग्रहण में महत्त्वपूर्ण योगदान दे।

वैदेशिक एवम् घरेलू मामले में एक शान्तिमय वातावरण बनाए रखने हेतु 17 नवम्बर, 1954 को यूएसए के सीनेट में दिए गए भाषण में उनका सुझाव था कि— “हमें बल प्रयोग व शक्ति की राजनीति के स्थान पर समझाने-बुझाने के तरीके ओर भाई-चारे की राजनीति को प्रतिष्ठित करना होगा। ये स्थायी सफलता होगी, हमारी परम्पराएँ हमारा इतिहास यह प्रमाण देता है कि शांतिपूर्ण तरीकों के परिणाम स्थायी होते हैं, हमें समस्याओं को तलवार से नहीं धैर्य से सुलझाना है।”

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने यह माना कि कोई भी समाज गतिहीन नहीं है। कोई भी कानून अपरिवर्तनशील भी नहीं है और कोई भी संविधान स्थायी नहीं है। मानवीय प्रकृति और सामाजिक व्यवस्थाओं में समय व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

विश्व को गति देने वाला मूल तत्त्व विचार ही है कर्म विचार का अनुकारी है। वर्तमान समय में सभी राष्ट्र विज्ञान तकनीकी व आणविक शक्ति से मजबूत हैं, लेकिन विचार शक्ति के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय विचार परम्परा के तत्त्व चिन्तक तथा विश्व के बौद्धिक क्षेत्र के उत्कृष्ट विद्वान डॉ. राधाकृष्णन् ने अपनी रचनाओं व लेखनी के माध्यम से आधुनिक विचार जगत को गहनता से प्रभावित किया है।

डॉ. राधाकृष्णन् के अनुसार— “हमारा युग कई अर्थों में मानव इतिहास में द्वितीय युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों और मनोवैज्ञानिक खोजों ने जैसे मनुष्य के बाहर और भीतर का सब कुछ बदल डाला है इतिहास द्वारा स्वीकृत मान्यता भी आज निरर्थक लगती है, जबकि नये मूल्य हमारी आस्था और हमारे विश्वास को चुनौती दे रहे हैं। अपूर्व सम्भावनाओं से भरे इस युग को समझने के लिए एक संतुलित दृष्टि और एक सम्यक् युग बोध की आवश्यकता है।”

डॉ. राधाकृष्णन् के विचारों में वर्तमान समाज के सभी पक्षों जैसे— नैतिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैदेशिक, अन्तरराष्ट्रीय हर क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का निदान मौजूद है। डॉ. राधाकृष्णन् ने लोकतंत्र को धर्म माना और धर्म को राजनीति से जोड़ा। सक्रिय राजनीति से

दूर रहकर राजनीति में नैतिकता के सिद्धान्तों को अपनाया। उनका मानना था कि प्रजातंत्र में दो तत्त्व समाहित हैं— पहला स्वतंत्रता तो दूसरा समानता। इन दोनों तत्त्वों से परिपूर्ण लोकतंत्र तो समस्याओं का समाधान है साथ ही लोकतंत्र शांतिपूर्ण सह अस्तित्व व भाईचारे से युक्त जीवन शैली की अपेक्षा करता है। आज राष्ट्रीय एकीकरण ही राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न है। जनमत को व्यक्त करने की सर्वश्रेष्ठ विधि संसदीय लोकतंत्र ही है।

अतः सार तत्त्व यह है कि डॉ. राधाकृष्णन् की इन वैचारिक देन रूपी अमूल्य निधि हमारे प्रत्येक पक्ष की मौलिक समस्याओं के समाधान में प्रासंगिक है तथा हमेशा पथ प्रदर्शक रहेगी, जिससे समाज के हर पक्ष का उत्थान हो सकेगा। ऐसे दिव्य महापुरुष को हम कोटि-कोटि नमन करते हैं।

संदर्भ

1. अनुशासन पर्व व शान्ति पर्व महाभारत।
2. आर बोहरा – राधाकृष्णन् के शिक्षा सम्बन्धी विचार (अप्रकाशित)
3. सर राधाकृष्णन् धर्म और समाज (अनुवादक विराज एम.ए.) दिल्ली राजपाल एण्ड संस।
4. सर राधाकृष्णन् स्वतंत्रता एवं संस्कृति
5. सर राधाकृष्णन् भारत की अन्तरात्मा (अनु. विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी) दिल्ली सन्मार्ग प्रकाशक
6. सर राधाकृष्णन् हमारी विरासत (अनु. विजय कुमार मल्होत्रा) दिल्ली, राजपाल एण्ड सन्स, 1975
7. सर राधाकृष्णन् भारत और विश्व (अनु. गोवर्धन भट्ट) दिल्ली, अशोक प्रकाशन, 1949
8. सर राधाकृष्णन् – प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार (अनु. उमापति राम चन्देल) दिल्ली, राजपाल एण्ड सन्स।
9. वी.पी.वर्मा— आधुनिक भारतीय रानीतिक विचार